न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–63 / 2020 — दर्ज दिनांक 08.07.2020

जी सी एम एस न0 2020 / 00175 — निर्णय दिनांक 17.01.2023

रोहिताश पुत्र अर्जुन उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
आवेदक

बनाम

1. अर्जन पुत्र प्रभात उम्र 68 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. महाबीर पुत्र अर्जन जाति माली निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश

निर्णय

दिनांक 17.01.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी रोहिताश बनाम अर्जुन आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि उदयपुरवाटी तहसील अन्तर्गत पटवार हल्का सराय के ग्राम जोधपुरा में भूमि खसरा न. नया 515, 519, 520, 521, 556 तथा 667 कुल खसरा न. 6 का रकबा क्रमशः 0.27, 0.58, 0.06, 0.02, 0.30, 0.31, 0.41 तथा 0.11 है0 कुल क्षेत्रफल 2.06 है0 स्थित है। यह भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसकी खातेदारी पहले आवेदक के दादा प्रभात पुत्र धन्ना माली के नाम दर्ज थी। आवेदक के दादा धन्ना माली की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान अनावेदक संख्या 1 के नाम इसकी खातेदारी दर्ज हुई। अनावेदक संख्या 1 आवेदक का पिता है। अनावेदक संख्या 1 के दो वारिस है आवेदक तथा अनावेदक संख्या 2 है इस पैत्रिक भूमि में आवेदक का हिस्सा 1/18 है। तीन वर्ष पूर्व अनावेदक संख्या 1 ने अपने दोनो पुत्रों आवेदक तथा अनावेदक संख्या 2 को अलग–अलग कर दिया तथा अनावेदक संख्या 1 के हिस्से में जो भूमि 1/6 हिस्से की आयी थी उसमें से अपने दोनों पुत्रों (आवेदक तथा अनावेदक संख्या 2) को बराबर–बराबर बांट दी थी। इस प्रकार गत तीन वर्षो से आवेदक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि में 2/6 हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। पिछले दो– तीन महीनों से अनावेदक संख्या 1 की नियत में फर्क आ गया और वह धमकी दे रहा है कि भूमि की खातेदारी मेरे नाम से है, इस कारण मैं इस भूमि को अनावेदक संख्या 2 या उसकी पत्नी तथा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय कर सकता हूं मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संया 2 में दर्ज भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक कोपार्सन हिस्सा 1/18 है। अनावेदक संख्या 1 को यह अधिकार नहीं है कि वह आवेदक को उसकी पैत्रिक भूमि से महरूम कर सके। दिनांक 15.06.2020 को अनावेदक संख्या 1 ने धमकी दी कि वह उक्त भूमि में दर्ज अपने हिस्से की 1/6 भूमि को विक्रय करेगा तथा इस भूमि से आवेदक को सदा–सदा के लिए वंचित कर देगा। अगर अनावेदक संख्या 1 अपने हिस्से की 1/6 भूमि को विक्रय करने में सफल हो जाता है तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी भरपाई किसी कदर सम्भव नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है थक अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि खसरा न. 515, 519, 520, 521 [illegible] 667 [illegible] विक्रय नहीं करें तथा अनावेदक संख्या 3 इस भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करे [illegible] की यथास्थिति बनाए रखे तथा आवेदक को भूमि 1/18 हिस्से के काश्त में [illegible] मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की त[illegible]स्ते जबाबदेही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामिल हाजीर नहीं अत इ[illegible] विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही में लायी गई

एकपक्षीय बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा न. 515, 519, 520, 521, 556, 667 कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 2.06 है0 स्थित है, जो कि पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/18 है।

अनावेदक संख्या 1 धमकी दे रहा है कि वह इस पैत्रिक भूमि को अकेले अनावेदक संख्या 2 या उसकी पत्नी के नाम करवायेगा तथा आवेदक को इस भूमि की काश्त भी नहीं करने देगा। चूंकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक का कोपार्सन हिस्सा 1/18 है अतः अनावेदक संख्या 1 को यह अधिकार नहीं है कि वह आवेदक को उसकी पैत्रिक भूमि से महरूम कर सके। आवेदक के पास इस पैत्रिक भूमि के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि उदयपुवाटी तहसील पटवार हल्का सराय के ग्राम जोधपुरा में भूमि खसरा न. 515, 519, 520, 521 में से रकबा 0.0300 (चाही–1), 556, 667 में अर्जन के हिस्से तक अनावेदकगण राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

17/1/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 17.01.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/1/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:44:40 IST
Reason: SelfAttested